



आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) वधियक, 2022

प्रलिमिंस के लयि:

लोकसभा, भारतीय दंड संहति, नविरक नरीध, राष्ठीय अपराध रकिर्ड ब्यूरो, नागरकिं के मौलकि अधकिार, गोपनीयता का अधकिार, आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) वधियक, 2022

मेन्स के लयि:

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) वधियक, 2022 और मुद्दे, नरिणय और मामले, मौलकि अधकिार

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) वधियक, 2022 को [लोकसभा](#) में पेश कयिा गया है।

//

वधियक के प्रावधान:

- **नमूनों का संग्रह:**
 - यह पुलिस और जेल अधिकारियों को **रेटिना और आईरिस स्कैन सहित भौतिक एवं जैविक नमूनों को एकत्र करने, संग्रहण और विश्लेषण** करने की अनुमति देगा।
 - इस अधिनियम के तहत माप लेने की अनुमति देने का वरिध या इनकार करने को भारतीय **दंड संहिता की धारा 186** के तहत अपराध माना जाएगा।
 - यह इन प्रावधानों को किसी भी **नविकरक नरिध कानून** के तहत पकड़े गए व्यक्तियों पर भी लागू करने का प्रयास करता है।
 - यह आपराधिक मामलों में **पहचान और जाँच हेतु दोषियों तथा "अन्य व्यक्तियों" के परीक्षण** के लिये भी अधिकृत है।
 - यह दोषियों, गरिफ्तार व्यक्तियों या बंदियों से परे अपने दायरे को इंगति करने वाले **"अन्य व्यक्तियों"** को परभाषति नहीं करता है।
- **परीक्षण/माप को रिकॉर्ड करने की शक्ति:**
 - परीक्षण/माप रिकॉर्ड करने के लिये **हेड कांस्टेबल रैंक तक के पुलिस कर्मियों** को अधिकृत किया गया है।
 - **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** भौतिक और जैविक नमूनों, हस्ताक्षर एवं हस्तलेखन डेटा का भंडार होगा जसि कम-से-कम 75 वर्षों तक संरक्षति किया जा सकता है।
 - NCRB को किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ **रिकॉर्ड साझा** करने का भी अधिकार दिया गया है।

वधियक का महत्त्व:

- **आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना:**
 - वधियक **शरीर के उपयुक्त परीक्षणों की जाँच और उन्हें रिकॉर्ड करने हेतु** आधुनिक तकनीकों के उपयोग का प्रावधान करता है।
 - वर्तमान कानून- कैदियों की पहचान अधिनियम (Identification of Prisoners Act) को वर्ष 1920 में लागू किया गया था, अतः यह काफी पुराना है और यह दोषी व्यक्तियों की एक सीमति श्रेणी के केवल फगिरप्रटि (Fingerprint) और पदचहिन (Footprint) लेने की अनुमति प्रदान करता है।
- **नविश एजेंसियों हेतु सहायक:**
 - वधियक उन "व्यक्तियों के दायरे" का वसितार करता है जिनके शरीर का परीक्षण या जाँच की जा सकती है। इससे जाँच एजेंसियों को प्रयाप्त कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत इकट्ठा करने और आरोपी व्यक्तिके अपराध को साबति करने में मदद मल्लिगी।
- **अपराध की जाँच को और अधिक कुशल बनाना:**
 - यह वधियक व्यक्तियों के उचति शारीरिक परीक्षण हेतु कानूनी मंजूरी प्रदान करता है, जनिहें इस तरह के परीक्षण/माप की आवश्यकता होती है और इससे अपराध की जाँच अधिक कुशल और तेज हो जाएगी और दोष-सदिधतिर को बढ़ाने में भी मदद मल्लिगी।

वधियक से संबंधति मुद्दे:

- यह तरक दिया गया है कि वधियक संसद की वधियी क्षमता से परे था क्योक यह नागरिकों के **मौलिक अधिकारों** का उल्लंघन करता है जसिमें **नजिता का अधिकार** भी शामिल है।
 - वधियक में राजनीतिक वरिध में शामिल प्रदर्शनकारियों के भी नमूने एकत्र करने का प्रस्ताव है।
- यह संवधिन के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करता है। वधियक में जैविक जानकारी के संग्रह में बल का प्रयोग नहिति है, जसिसे **नारको परीक्षण** (Narco Analysis) और बरेन मैपिंग (Brain Mapping) भी शामिल हो सकती है।
 - अनुच्छेद 20(3) के अनुसार, 'किसी अपराध के आरोपी व्यक्तिको अपने खलिफ गवाह बनने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा'।
- वधियक **संयुक्त राष्ट्र** चार्टर में नरिधरति मानवाधिकार प्रावधानों का भी उल्लंघन करता है।
- साथ ही शारीरिक परीक्षण एवं नमूने एकत्र करने हेतु खंड 6(1) में नहिति शक्तियों का उपयोग **'ए.के. गोपालन' वाद** (1950), 'खड्ग सहि' वाद (1964), 'चार्ल्स शोभराज' वाद (1978), 'शीला बरसे' वाद (1983), 'प्रमोद कुमार' वाद के तहत सजा पाए लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है।

सरकार की संबंधति पहलें:

- **अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS):**
 - यह **ई-गवर्नेंस** के माध्यम से प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिये एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली बनाने की परयोजना है।
- गृह मंत्रालय 'सेंट्रल फगिर प्रटि ब्यूरो' (CFPB) और NIST फगिरप्रटि इमेज सॉफ्टवेयर (NFIS) के फगिरप्रटि डेटाबेस के एकीकरण पर काम कर रहा है।
 - NFIS एक तकनीक है, जसिका उपयोग यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) द्वारा उँगलियों के नशान से मलिन करने के लिये किया जाता है।
- सरकार डेटा संग्रह को बढ़ाने पर भी काम कर रही है।
- FBI के डेटाबेस में 4 करोड़ से अधिक उँगलियों के नशान हैं और CFPB के पास वर्तमान में सरिफ 10 लाख से अधिक उँगलियों के नशान का डेटाबेस है।

वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. 'नजिता का अधिकार' भारत के संविधान के कसि अनुच्छेद के तहत संरक्षति है?

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

- पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले (2017) में नजिता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषति कयि गया था ।
- नजिता का अधिकार अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तगित स्वतंत्रता के आंतरकि भाग के रूप में और भारतीय संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षति है ।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/criminal-procedure-identification-bill-2022>

